भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 05 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2018.

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

संशोधन

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 540, / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष मे जनपद देहरादून की सौंग–2 कुल क्षेत्रफल 136.50है0 वन उपखनिज लॉट से उपखनिजों के चुगान हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु जारी आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में सौंग–2 कुल क्षेत्रफल 136.85है0 के स्थान पर टंकण त्रुटीवश सौंग–2 कुल क्षेत्रफल 136.50 है0 टंकित हो गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये सौंग–2 कुल क्षेत्रफल 136.50 है0 के स्थान पर सौंग–2 कुल क्षेत्रफल 136.85है0 पढ़ा जाय।

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 540 / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा।

(एस0 एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

संख्याः 1038 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

05/11/18
(एस0 एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः 540 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 24 जुलाई 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या 8(क) के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के खनन पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के प्राविधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0मए0–1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत जनपद देहरादून के आरक्षित वन नदी उपखनिज क्षेत्र सौग नदी–2 में उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 215/ VII-I/2018/3–ख/2016 दिनांक 28 मार्च 2018, के दृष्टिगत आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सौग नदी–2 उपखनिज लांट जिसका विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है, को 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टे पर पर स्वीकृत किये जाने की उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या –21(1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में मंशा रखती है:–

क0सं0	लांट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
2.	सौंग–2	136.50

आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उपरोक्त तालिका में उल्लिखत वन उपखनिज लाट में उपखनिज के चुगान किये जाने हेतु सहमत हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें, ताकि नियमानुसार अगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु खनन चुगान की स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

24/07/18

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

संख्याः 540 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्‌दिनांक ।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

24/08/18

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 05 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (**Letter of Intent**)

संशोधन

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 538, / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष मे जनपद देहरादून की सौंग–1 कुल क्षेत्रफल 112.50है0 वन उपखनिज लांट से उपखनिजों के चुगान हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु जारी आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में सौंग–1 कुल क्षेत्रफल 202.00है0 के स्थान पर टंकण त्रुटीवश सौंग–1 कुल क्षेत्रफल 112.50 है0 टंकित हो गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये सौंग–1 कुल क्षेत्रफल 112.50 है0 के स्थान पर सौंग–1 कुल क्षेत्रफल 202.00है0 पढा जाय।

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 538, / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

संख्याः/1039 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

05/11/18
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 24 जुलाई 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या 8(क) के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के खनन पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के प्राविधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0मए0–1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत जनपद देहरादून के आरक्षित वन नदी उपखनिज क्षेत्र सौग नदी–1 में उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 215/ VII-I/2018/3–ख/2016 दिनांक 28 मार्च 2018, के दृष्टिगत आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सौग नदी–1, उपखनिज लांट जिसका विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है, को 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टे पर पर स्वीकृत किये जाने की उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या –21(1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में मंशा रखती हैः–

क0सं0	लांट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	सौंग–1	112.50

आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उपरोक्त तालिका में उल्लिखत वन उपखनिज लाट में उपखनिज के चुगान किये जाने हेतु सहमत हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें, ताकि नियमानुसार अगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु खनन चुगान की स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

संख्याः 538 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

24/01/2018

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक २५ जुलाई 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या 8(क) के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के खनन पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के प्राविधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एए0–1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत जनपद देहरादून के आरक्षित वन नदी उपखनिज क्षेत्र सौग नदी–3 में उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 215/ VII-I/2018/3–ख/2016, दिनांक 28 मार्च 2018, के दृष्टिगत आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सौग नदी–3 उपखनिज लाट जिसका विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है, को 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टे पर पर स्वीकृत किये जाने की उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या –21(1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में मंशा रखती है:–

क0सं0	लाट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
3.	सौंग–3	93.5

आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उपरोक्त तालिका में उल्लिखत वन उपखनिज लाट में उपखनिज के चुगान किये जाने हेतु सहमत हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें, ताकि नियमानुसार अगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु खनन चुगान की स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

संख्याः 537 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्डं शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

24/10/18

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्या: खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 05 नवम्बर 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (**Letter of Intent**)

संशोधन

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 539 / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष मे जनपद देहरादून की जाखन–1 कुल क्षेत्रफल 97.50है0 वन उपखनिज लांट से उपखनिजों के चुगान हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु जारी आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में जाखन–1 कुल क्षेत्रफल 99.95है0 के स्थान पर टंकण त्रुटीवश जाखन–1 कुल क्षेत्रफल 97.50 है0 टंकित हो गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये जाखन–1 कुल क्षेत्रफल 97.50 है0 के स्थान पर जाखन–2 कुल क्षेत्रफल 99.95है0 पढा जाय।

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 539, / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा।

(एस0 एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

संख्या: 1036 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

05/11/18
(एस0 एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/मू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक २५ जुलाई 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या 8(क) के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के खनन पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के प्राविधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0मए0–1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत जनपद देहरादून के आरक्षित वन नदी उपखनिज क्षेत्र जाखन –2 में उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 215/ VII-I/2018/3–ख/2016, दिनांक 28 मार्च 2018, के दृष्टिगत आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत स्थित जाखन –2 उपखनिज लांट जिसका विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है, को 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टे पर पर स्वीकृत किये जाने की उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या –21(1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में मंशा रखती है:–

क0सं0	लांट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	जाखन–2	50.00

आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उपरोक्त तालिका में उल्लिखत वन उपखनिज लाट में उपखनिज के चुगान किये जाने हेतु सहमत हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें, ताकि नियमानुसार अगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु खनन चुगान की स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

संख्याः 536 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

24/07/18

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 05 नवम्बर 2018,

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

संशोधन

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 536 / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष मे जनपद देहरादून की जाखन–2 कुल क्षेत्रफल 50.00है0 वन उपखनिज लाट से उपखनिजों के चुगान हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु जारी आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में जाखन–2 कुल क्षेत्रफल 96.50है0 के स्थान पर टंकण त्रुटीवश जाखन–2 कुल क्षेत्रफल 50.00 है0 टंकित हो गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये जाखन–2 कुल क्षेत्रफल 50.00 है0 के स्थान पर जाखन–2 कुल क्षेत्रफल 96.50है0 पढ़ा जाय।

कार्यालय ज्ञाप संख्या, 536, / खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 24 जुलाई 2018 इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा।

(एस0 एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

संख्याः 1037 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्‌दिनांक ।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

05/11/18
(एस0 एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून

संख्याः खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 24 जुलाई 2018.

कार्यालय ज्ञाप

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या 8(क) के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के खनन पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के प्राविधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0मए0–1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत जनपद देहरादून के आरक्षित वन नदी उपखनिज क्षेत्र जाखन –1 में उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 215/ VII-I/2018/3–ख/2016, दिनांक 28 मार्च 2018, के दृष्टिगत आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत स्थित जाखन –1 उपखनिज लांट जिसका विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है, को 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टे पर पर स्वीकृत किये जाने की उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या –21(1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में मंशा रखती है:–

क0सं0	लांट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
4.	जाखन–1	97.5

आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उपरोक्त तालिका में उल्लिखत वन उपखनिज लाट में उपखनिज के चुगान किये जाने हेतु सहमत हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनश्चित करें, ताकि नियमानुसार अगामी पांच वर्ष की अवधि हेतु खनन चुगान की स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

संख्याः 539 खनन/आशय पत्र/व0वि0नि0/भू0खनि0ई0/2018–19, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी देहरादून।

3. **प्रबन्ध निदेशक**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वन संरक्षण **अधिनियम 1980**, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खनन चुगान कार्य हेतु वांछित अनुमतियां प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।

24/08/18

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक